

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे० ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNR NOUPBH010016752026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-596/12A/2026

1-पिन्टू सिंह, आयु करीब 42 वर्ष पुत्र जयचन्द सिंह

2-अमन सिंह, आयु करीब 32 वर्ष पुत्र गुढे उर्फ संतबक्श सिंह

निवासीगण ग्राम बरावां भदौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या-126/2020

धारा-323, 504, 506 भा०द०सं० व

धारा 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,

थाना-कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

02.06.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण पिन्टू सिंह, पुत्र जयचन्द सिंह व अमन सिंह, पुत्र गुढे उर्फ संतबक्श सिंह, निवासीगण ग्राम बरावां भदौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच की ओर से विशेष दण्डिक वाद संख्या 114/2023, अपराध संख्या 126/2020, धारा-323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना-कोतवाली देहात, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादिनी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति कोरी है। दिनांक 28.02.2020 को शाम 07 बजे प्रार्थिनी रात लादी दवा कर घर आयी तो तभी रास्ते में विपक्षीगण ने रोक कर जातिसूचक कोरिन साली की गाली देते हुए मारा पीटा जान से मार डालने की धमकी दी। प्रार्थिनी को काफी चोट लगी है।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक पूर्णतया गलत फर्जी व आधारहीन है। प्रथम सूचिका द्वारा कथित दिनांक समय व स्थान पर न तो कोई घटना ही घटी है और न ही प्रार्थी/अभियुक्तगण वहाँ पर थे। प्रधानी चुनाव की रंजिश है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर है। उक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को मारने पीटने, अपमानित तथा जान से मारने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से

प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मु०-25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

- 1- प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोप एवं धारा 313 द०प्र०सं० के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।
- 2- अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़-छाड़ करेगे।
- 3- अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

दिनांक: 02.06.2026